न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर
बइजलास राजेश कुमार मीणा, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या: 42/2022/ आवेदन 136 एलआरएक्ट

1. सांवरमल पुत्र बोदूराम जाति जाट
2. महेश कुमार विश्राम पुत्र जगदीश सिंह जाति जाट

निवासीगण लक्ष्मणपुरा (रेटा) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज0)।

– प्रार्थीगण

ब ना म

राज्य सरकार जरिये: तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज.)।

– अप्रार्थी

आवेदन अन्तर्गत धारा 136 L.R.Act.

उपस्थिति–

1. श्री सुरेन्द्र सिंह विश्राम वकील प्रार्थी की ओर से।

नि र्ण य **दिनांक – 26.07.2022**

1 आवेदन पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमियॉ ख.नं. 1172, 1181, 1182, 1190, 1619/1174 किता 5 कुल रकबा 1.5700 हैक्टेयर ग्राम रेटा व कृषि भूमियॉ ख.नं. 1192, 1194, 1196, 1630/1193, 1632/1195 किता 5 कुल रकबा 2.1000 हैक्टेयर ग्राम हरिरामपुरा पटवार हल्का रेटा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है। वादी संख्या 1 के पिता व वादी संख्या 2 के दादा का पहचान के दस्तावेजात में सही नाम बोदूराम था। प्रार्थीगण का पिता व दादा की मृत्यु दिनांक 09.02.1996 में हो चुकी है। मृत्यु प्रमाण–पत्र में बोदूराम पुत्र लादूराम दर्ज है परन्तु आवेदन में वर्णित कृषि भूमियों में बिरदूराम दर्ज है। खातेदारी कॉलम में दर्ज जगदीश सिंह (प्रार्थी संख्या 2 के पिता) की मृत्यु दिनांक 29.02.2020 को हो चुकी है। मृत्यु प्रमाण–पत्र जगदीश सिंह पुत्र बोदूराम नाम से बना हुआ है। खातेदार जिनकू देवी की मृत्यु दिनांक 21.12.2018 को हो चुकी है, प्रमाण पत्र संलग्न प्रार्थना–पत्र है। खातेदार भगवानाराम की मृत्यु दिनांक 13.02.2020 को हो चुकी है मृत्यु प्रमाण–पत्र संलग्न है। प्रार्थी संख्या 1 की माता व सगे भाईयों तथा प्रार्थी संख्या 2 की दादी, पिताजी व चाचा के मृत्यु प्रमाण–पत्रों में पिता का नाम बोदूराम दर्ज होने तथा आवेदन वर्णित कृषि भूमियों में पिताजी का

उपखण्ड अधिकारी,दांतारामगढ

नमा बिरदूराम दर्ज होने के कारण विरासत नामान्तकरण की कार्यवाहियों में कानूनी बाधा उत्पन्न हो चुकी है इसलिए आवेदन वर्णित कृषि भूमियों में खातेदारी वल्दीयत में बिरदूराम के स्थान पर बोदूराम दर्ज किया जाना प्रार्थनीय है व वादीगण को यह रिकार्ड दुरूस्ती का आवेदन पेश किया जाना आवश्यक हुआ है। वाद कारण अरसा करीब 15–16 रोज पूर्व प्रतिवादी के अधीनस्थ कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा आवेदिका का नाम दुरूस्त करने से इन्कार होने पर उत्पन्न हुआ जो कि क्षण–प्रतिक्षण निरन्तर रूप से चालू है। अतः आवेदन पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि आवेदन स्वीकार कर भूमि खसरा नम्बर 1172, 1181, 1182, 1190, 1619/1174 किता 5 कुल रकबा 1.5700 हैक्टेयर ग्राम रेटा व कृषि भूमियॉ ख.नं. 1192, 1194, 1196, 1630/1193, 1632/1195 किता 5 कुल रकबा 2.1000 हैक्टेयर ग्राम हरिरामपुरा पटवार हल्का रेटा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज प्रार्थीगण के पिता व दादा व अन्य मृतक खातेदार के पति व पिता का नाम बिरदुराम के स्थान पर सही नाम बोदुराम दर्ज किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीं में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

2 आवेदन पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार दांतारामगढ सें तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई। वकील प्रार्थीगण की बहस एक पक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आग्रह किया गया कि प्रार्थीगण के पिता व दादा व अन्य मृतक खातेदार के पति व पिता का नाम बिरदुराम के स्थान पर सही नाम बोदुराम दर्ज किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीं में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

3 बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण पर मनन किया तथा आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट का अधोपांत अवलोकन किया गया । तहसीलदार रिपोर्ट में अंकन किया गया है कि रिपोर्ट

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

पटवारी अनुसार ग्राम रेटा के ख.नं. 1172, 1181, 1182, 1190, 1619/1174 किता 5 व ग्राम हरिरामपुरा के ख.नं. 1192, 1194, 1196, 1630/1193, 1632/1195 किता 5 की खातेदारी जगदीश, भगवानाराम, सांवरमल पि. बिरदूराम जिनकू देवी पत्नि बिरदूराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी अनुसार राजस्व रिकार्ड में जमाबन्दी सम्वत 2029—32 में बिडदा जमाबन्दी सम्वत 2033—36 में बिरदा आधार वर्ष जमाबन्दी में बिरदूराम का नाम राजस्व रिकार्ड है। रिपोर्ट पटवारी अनुसार आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो मे वादी के पिता का नाम बोदूराम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी अनुसार वर्तमान मे बिरदूराम के वारिसान के नाम खातेदारी दर्ज है अतः जमाबन्दी में दर्ज समस्त वारिसान के पिता/पति का नाम बिरदूराम के स्थान पर बोदूराम दर्ज किये जाने कि अभिषंशा कि जाती है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर स्पष्ट है कि वादी का आवेदन स्वीकार योग्य है। **प्रार्थीगण का आवेदन रिकार्ड दुरूस्ती स्वीकार किया जाता है तथा भूमि खसरा 1172, 1181, 1182, 1190, 1619/1174 किता 5 कुल रकबा 1.5700 हैक्टेयर ग्राम रेटा व कृषि भूमियॉ ख.नं. 1192, 1194, 1196, 1630/1193, 1632/1195 किता 5 कुल रकबा 2.1000 हैक्टेयर ग्राम हरिरामपुरा पटवार हल्का रेटा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में दर्ज प्रार्थीगण के पिता व दादा व अन्य मृतक खातेदार के पति व पिता का नाम बिरदुराम के स्थान पर सही व वास्तविक नाम बोदुराम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।** राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 26.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/7/22

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ